(184)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1931–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2016 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर प्रकरण कमांक 08/अ–68/2015–16.

1. बंशीलाल आ0 हरजी
2. सिद्दूलाल आ0 बोंदरसिंह
3. हेमराज आ0 हीरालाल
4. सवाई सिंह आ0 भागीरथ
   सभी निवासीगण ग्राम भीलखेड़ी सड़क
   तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

——— अनावेदक

.....

श्री सुनील जौदान, अभिभाषक आवेदकगण
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/7/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर के आदेश दिनांक 25–2–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ग्राम भीलखेडी द्वारा ग्राम भीलखेडी सडक में खसरा नम्बर 145/2 रकबा 6.751 हे0 नोईयत ईकाडा के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसपर आवेदकगण द्वारा

अतिकमण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिकमकों को अहूत किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 25–2–16 को पारित करते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण पटवारी कथन हेतु नियत किया। अतिरिक्त तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का नं0 29 की ओर से अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष अतिकामको के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकों आहूत किये जाने के आदेश दिये। जहां आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया तथा साथ ही संहिता की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अतिरिक्त तहसीलदार ने इस आधार पर निरस्त किया है कि संहिता की धारा 162 के अधीन सरकारी पट्टे के रूप में प्रदान किये जाने के संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं हैं। पटवारी प्रतिवेदन एवं प्रकरण में संलग्न खसरे की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आईसीएआरडीए के नाम नोइयत में अंकित है, जिसपर आवेदकगण द्वारा अतिकमण किया जाना पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया है। यदि आवेदकगण के पास कोई पट्टा अथवा दस्तावेज प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में थे तो उन्हें अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का स्वत्व का अर्जित किया जाना सिद्ध करता हो। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त तहसीलदार ने आवेदकगण का संहिता की धारा 32 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण पटवारी कथन हेतु अंकित करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। अतः अतिरिक्त तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण अपर तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर